

प्रेषक,

अमृत अभिजात  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी/नगरीय परिवहन, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक 17 मई, 2022

विषय:- सड़क सुरक्षा के संबंध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि सड़क/मार्ग दुर्घटना में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में नागरिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं एवं गंभीर दुर्घटना की स्थिति में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा एवं इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा के समस्त उपायों को अपनाया जाना वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। अतएव सड़क सुरक्षा के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये:-

- I. समस्त स्थानीय निकायों में पूर्व में स्थापित वी0एम0एस0, पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा अधिकृत होर्डिंग्स/डिजिटल बोर्डों के माध्यम से सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। विभिन्न नागरिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से नागरिकों/विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों एवं दुर्घटना से बचाव हेतु दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 18.06.2022 तक संचालित जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित कराया जाये।
- II. समस्त स्थानीय निकायों में अधिकृत बस/टैम्पो/टैक्सी के हॉल्टिंग स्थलों को चिन्हित करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएँ यथा-रोड मार्किंग, साइनेज, पेयजल, मार्ग प्रकाश आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा अवैध पार्किंग को हटाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये।
- III. नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 18.06.2022 तक एक माह का विशेष अभियान चलाकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एवं व्यापार मण्डल/स्ट्रीट वेण्डर्स एसोसिएशन एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ से बैठक करते हुए सार्वजनिक स्थलों एवं नगरीय सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- IV. नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई आदि के संबंध में पूर्व से संचालित 60 दिवसीय विशेष अभियान के अन्तर्गत अवैध होर्डिंग हटाकर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शासनादेश दिनांक 10.04.2022 द्वारा दो या उससे अधिक लेन की सड़कों पर लेन पेंटिंग एवं जेब्रा क्रॉसिंग की मार्किंग हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान संचालित किया गया है। उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साइनेज चिन्ह तथा स्टैण्डर्ड बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
- V. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की सड़कों को गड़ढामुक्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा सड़कों के गड़ढामुक्त/नवीनीकरण/रेस्टोरेशन के कार्यों का नियमित चेकिंग भी सुनिश्चित किया जाये। एक माह का विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर पाथ होल्स ठीक करने, अवैध कट एवं सड़क के ज्वाइंटर की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित किया जाये एवं अक्रियाशील प्रकाश बिन्दुओं को क्रियाशील किया जाये।
- VI. स्थानीय निकायों की सड़कों पर छुट्टा पशुओं के आने से प्रायः दुर्घटनाएँ घटित होती रहती हैं। अतएव विशेष अभियान चलाकर आवारा/छुट्टा पशुओं को पकड़कर गोआश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाये।


- VII. स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत 10 नगर निगम शहरों (लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़ एवं प्रयागराज) में परियोजनाओं के अन्तर्गत ई-चालान निर्गत किये जा रहे हैं तथा शेष शहरों में दिनांक 30.05.2022 तक ई-चालान निर्गत किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- VIII. नगरीय क्षेत्रों में जनसामान्य को सुगम एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 'फेम योजना' के अन्तर्गत अपेक्षित समस्त 740 इलेक्ट्रिक बसों के सापेक्ष 440 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हैं। अवशेष 300 बसों के संचालन की कार्यवाही आगामी दिनांक 30.06.2022 तक सुनिश्चित की जाये।
- IX. सुरक्षित एवं द्रुत यातायात व्यवस्था हेतु बरेली, अयोध्या, सहारनपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, झांसी के कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, प्रयागराज एवं मेरठ हेतु पुनरीक्षित कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान का कार्य दिनांक 15.12.2022 तक पूर्ण किया जाये।
- 2- कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन के संबंध में नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्यवाही की शीघ्र ही शासन एवं नगरीय निकाय निदेशालय स्तर से टीम भेजकर निरीक्षण/समीक्षा की जायेगी। अतएव उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं कृत कार्यवाही की आख्या निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराई जाय। तदोपरान्त कृत कार्यवाही की समेकित अनुपालन आख्या निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,  
  
( अमृत अभिजात )  
प्रमुख सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

**प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- 1- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।